

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव, (नयाचार)
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....अप्रैल, 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अंतर्गत रू० 77,86,000/- (सतहत्तर लाख छियासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक- ब० 17/बी०एस०जी०-18/2016-423/वि० दिनांक-31.03.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह के अन्तर्गत रू० 77,86,000/- (सतहत्तर लाख छियासी हजार रूपये) मात्र का बजट उपबंध किया गया है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 17/बी०एस०जी०-18/2016-423/वि० दिनांक-31.03.2016 के आलोक में व्यय हेतु रू० 77,86,000/- (सतहत्तर लाख छियासी हजार रूपये) मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	आय व्ययक अनुमान 2016-17	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	5	5
1	01 01 वेतन	12,28,000	12,28,000	12,28,000
2	01 03 जीवनयापन भत्ता	16,10,000	16,10,000	16,10,000
3	01 04 मकान किराया भत्ता	58,000	58,000	58,000
4	01 05 परिवहन भत्ता	48,000	48,000	48,000
5	01 06 चिकित्सा भत्ता	24,000	24,000	24,000
6	01 07 अन्य भत्ता	8,000	8,000	8,000
योग - वेतन एवं भत्ते		29,76,000	29,76,000	29,76,000
7	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25,000	25,000	25,000
8	11 01 यात्रा भत्ता	5,000	5,000	5,000
9	13 01 कार्यालय व्यय	6,00,000	6,00,000	6,00,000
10	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	2,00,000	2,00,000	2,00,000
11	13 03 दूरभाष	65,000	65,000	65,000
12	13 04 विद्युत प्रभार	15,00,000	15,00,000	15,00,000
13	13 06 वर्दी/पोशाक	35,000	35,000	35,000
14	21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	4,00,000	4,00,000	4,00,000
15	28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	19,80,000	19,80,000	19,80,000
योग - 0001-राज्य अतिथि गृह		77,86,000	77,86,000	77,86,000

3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0001-राज्य अतिथिगृह विपत्र कोड - एन 2070001150001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-03-1007/2016..... पटना-15, दिनांक-.....अप्रैल, 2016
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-03-1007/2016..... पटना-15, दिनांक-.....अप्रैल, 2016
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-03-1007/2016.....०२..... पटना-15, दिनांक-२२/४.....अप्रैल, 2016
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/उप सचिव (नयाचार) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/लेखा शाखा/लेखापाल (नयाचार)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6/आई०टी०मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।